निबंधन संख्या पी0टी0-40

# बिहार गजट
## असाधारण अंक
## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

**31 श्रावण 1939 (श0)**

**(सं0 पटना 722) पटना, मंगलवार, 22 अगस्त 2017**

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

---

अधिसूचना
**21 अगस्त 2017**

**सं०** मं0मं0–01/आर०–22/2008/**826**—भारत संविधान के अनुच्छेद–166 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्द्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय समय पर यथा संशोधित) की चतुर्थ अनुसूची के भाग (ख) की कंडिका 2(ii) को तुरंत के प्रभाव से विलोपित करते हैं।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
**ब्रजेश मेहरोत्रा**,
सरकार के प्रधान सचिव।

---

***21st August 2017***

No- MM-01/R -22 /2008/**826**—In exercise of the powers conferred by clause (3) of Article 166 of the constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to delete the para no.- 2(ii) of the part (B) of the Fourth Schedule of The Rules of Executive Business, Bihar, 1979 (Amended from time to time) with immediate effect.

**By order of the Governor of Bihar,**
**BRIJESH MEHROTRA**,
*Principal Secreatry to the Government.*

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण)722-571+100-डी0टी0पी0।
**Website: http://egazette.bih.nic.in**